न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 63/2024

निर्णय दिनांक :–09.07.2024

उनवानी प्रार्थना पत्र :

नीतू जैन पत्नी अनिल जैन जाति महाजन आयु बालिग निवासी ग्राम सरोली तहसील दूनी हाल निवासी घन्टाघर टोंक राज0

बनाम

– प्रार्थी –

तहसीलदार जी दूनी जिला टॉक राज

– अप्रार्थी–

उपस्थिति :–
श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार दूनी

आवेदन अन्तर्गत धारा 251–ए– राज टिस्क्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की खातेदारी की जमीन ख. नं. 1973/1297 रकबा 0.92 है0 व ख. नं. 1975/1941 रकबा 0.08 है0 किता 2 कुल रकबा 1.00 है0 वाके ग्राम सरोली तहसील दूनी में स्थिति है, जिस पर प्रार्थीया का कब्जा–काश्त है। प्रार्थीया के उपरोक्त खातेदारी के खेतो मे जाने–जाने के लिऐ कोई रास्ता नहीं है, रास्ता नही होने के कारण प्रार्थीया को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, प्रार्थीया रास्ता नहीं होने से अपने खेतो मे बुआई के समय, समय से बुआई नही कर पाती है जिसके कारण प्रार्थीया के खेत पड़त रह जाते है। वर्तमान में प्रार्थीया हाल ख. नं. 1328 रकबा 0.2643 है0 बंजड़ में से आती जाती हैं, उक्त खसरा नम्बर वर्तमान

Scanned with OKEN Scanner

में राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक अंकित है। प्रार्थीया को अपनी खातेदारी खेतो में आने जाने के लिए हाल ख. नं. 1328 में से 30 फीट चाड़ा रास्ता दिलवाया अत्यन्त आवश्यक है। प्रार्थीया द्वारा चाहे गये रास्ते को संलग्न नक्शा ट्रेस में अ–ब–स–द से दर्शाया गया है। उक्त नक्शा ट्रेस आवेदन का अभिन्न अंग है। प्रार्थीया द्वारा जो रास्ता ख. नं. 1328 में चाहा गया है वह रास्ता आगे जाकर ख. नं. 1327 रकबा 0.18 है0 ग. मु. रास्ता व ख. नं. 1330 रकबा 0.19 है0 गै. मु. रास्ता में जाकर मिल जाता है। प्रार्थीया न्यायालय के आदेशानुसार ही डी.एल.सी रेट की दुगुनी राशि जमा कराने को तैयार एवं तत्परं है । प्रार्थीया द्वारा चाहे गये रास्ते मे किसी भी प्रकार का कोई पेड या अन्य कोई रूकाावट नही है, प्रार्थीया इसी रास्ते से वर्तमान मे आ रही है। प्रार्थीया द्वारा माननीय न्यायालय में यह प्रथम आवेदन है। माननीय न्यायालय को उक्त विवादग्रत्त आराजियात रास्ते बाबत सुनवाई का पूर्ण अधिकार है । उक्त आवेदन अन्दर मियाद पूर्ण कोर्ट फीस पर श्रीमान श्रीमान की सेवा में पेश है। अतः प्रार्थनापत्र मय पशपथपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया को ख. नं. 1328 में से 30 फिट चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करे ।

प्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार दूनी द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार हैः–प्रार्थी को आराजी ख0न0 1973/1297, 1975/1941 पर पहुंचने के लिये राजस्व रिकार्ड में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है। प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते के अलावा अन्य कोई लघुत्तम दूरी का रास्ता प्रस्तावित नहीं किया जा सकता । प्रार्थिया द्वारा आवेदित रास्ता

Scanned with OKEN Scanner

रिकार्डेड रास्ता ख0न0 1330 किस्म गै. मु. रास्ता से जुडा हुआ है। प्रार्थी की आराजी तक पहुंच मार्ग हेतु ख0न0 1328 में से रास्ते की चौडाई 9.15 मीटर व लम्बाई 80 मीटर यानि 732 वर्ग मीटर यानि 0.0732 है0 प्रस्तावित है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम सरोली की डीएलसी दर 1662460/– रूपये प्रति हैक्टेयर है तथा डीएलसी दर से दुगुनी प्रतिकर राशि 243415/– रू0 भुगतान योग्य है। आराजी ख0न0 1973/1297, 1975/1941. वाके ग्राम सरोली आवेदक के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थिया आराजी ख. नं. 1328 ग्राम सरोली में से रास्ता चाहती है। प्रस्तावित रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई पेड, दीवार, कोई सरंचना इत्यादि नहीं है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि राजकीय भूमि सिवायचक है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जावे तो कोई आपति नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

तहसीलदार दूनी ने रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। तहसीलदार दूनी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 15.04.24 से ख: नं. 1973/1297, 1975/1941 में जाने के लिए रास्ते हेतु ख. नं. 1328 से 80 मीटर रास्ता प्रस्तावित किया गया है परन्तु रिपोर्ट के साथ नक्शा शीट के अवलोकन करने पर यह पाया गया कि ख. नं. 1328 के लगता हुआ ख. नं. 1823/1328

Scanned with OKEN Scanner

पूर्व से गै. मु. रास्ते हेतु दर्ज रिकॉर्ड है तथा प्रथम दृष्टया प्रार्थीया की आराजी हेतु रास्ता ख. नं. 1328 की उतरी सीमा से लघुतम प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार दूनी से पुनः रिपोर्ट ली गई ।

तहसीलदार दूनी द्वारा अपने पत्र कमांक दिनांक 240 दिनांक 05. 07.24 से रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार हैः–

1. प्रकरण में ख0न0 1328 से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। ख0न0 1823/1328 से पूर्व में गै0मु0 रास्ता दर्ज रिकार्ड है, जिसमें से 1975/1941 तक 1328 में से उपरी छोर पर अतिक्रमण हो रखा है। ख0 न0 1328 से नवीन प्रस्तावित रास्ता 66 मीटर व ख0न0 1823/1328 गै0मु0 रास्ता से 60 मीटर दूरी पर स्थित है, लेकिन ख0न0 1328 के उपरी छोर पर अतिक्रमण होने से प्रस्तावित रास्ता ही लघुत्तम है।
2. ख0न0 1973/1297 व ख0न0 1975/1941 के अडवा प्रार्थिया के निकट सम्बन्धी की भूमि ख0नः 1976/1941 है, लेकिन ख0न0 1976/1941 आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तित भूमि होने के कारण धारा 251 के अन्तर्गत रास्ता प्रस्तावित नहीं किया गया है।

पत्रावली पर पुनः बहस सुनी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने पूर्व अनुसार ही तथ्यो का दोहरान कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार देवली की रिपोर्ट में प्रार्थी की आराजी 1973/1297 व ख0न0 1975/1941 में पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता

Scanned with OKEN Scanner

उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि राजकीय भूमि सिवायचक है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है।

नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने पर ख. नं. 1823/1328 गै. मु. रास्ते से प्रार्थी की आराजी 1973/1297 व ख0न0 1975/1941 तक पहुंचने के लिए रास्ता लघुतम है जिसकी दूरी तहसीलदार द्वारा 60 मीटर बताई गई है। परन्तु तहसीलदार द्वारा ख. नं. 1823/1328 से प्रार्थीया की आराजी ख. नं. 1975/1941 तक 1328 में से उपरी छोर पर अतिक्रमण होना बताया है। चूंकि प्रार्थीया द्वारा सिवायचक ख. नं. 1328 से रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार दूनी अपनी रिपोर्ट में लघुतम रास्ता प्रस्तावित न कर लम्बी दूरी का रास्ता अतिक्रमण होने के कारण प्रस्तावित कर रहा है जबकि तहसीलदार का यह दायित्व कानूनन स्पष्ट है कि वह राजकीय भूमि पर अतिक्रमण न होने दे और यदि अतिक्रमण है तो नियमानुसार हटवायें । अतः उक्त प्रकरण में भी तहसीलदार दूनी द्वारा प्रस्तावित रास्ता 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा के अनुरूप प्रस्तावित नहीं किया गया है। अतः प्रार्थीया के प्राार्थना पत्र को तहसीलदार दूनी द्वारा प्रेषित रिपोट दिनांक 05.7.24 में खसरा नम्बर 1328 के उपरी छोर से बताये गये रास्ते को जिसकी दूरी 60 मीटर है, की हद तक न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार दूनी को आदेशित किया जाता है ग्राम सरोली के ख. नं. 1973/1297 व 1975/1941 के रास्ते हेतु ख. नं. 1823/1328 से ख. नं. 1328 की उतरी सीमा से 9.15 मीटर चौड़ा व 60 मीटर लम्बा रास्ता कुल क्षैत्रफल 549 वर्ग मीटर

Scanned with OKEN Scanner

के लिए डी. एल. सी दर 1662660/– प्रति है0 के अनुसार क्षैत्रफल 549 वर्ग मी. के लिए एक गुना राशि 91280/– रूपये व दुगनी राशि 182560/–रूपये प्रतिकर राशि जमा कर अथवा वर्तमान में प्रचलित डीएलसी की दुगनी दर से गणना कर राशि जमा राजकोष कर, राजस्व रिकॉर्ड में गै. मु. रास्ता सिवायचक के रूप में अमल दरामद करे। पत्रावली नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 09.07.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner